न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2757/दो/2012 विरूद्व आदेश दिनांक 09–05–2012 –पारित–अपर कलेक्टर, सागर – प्रकरण कमांक 65 अ 70/2010–11 निगरानी

श्रीमती मंगला पत्नि घनश्याम भिडे
निवासी विद्यापुरम कालोनी, मकरोनिया
तहसील व जिला सागर मध्य प्रदेश
––आवेदिका

विरूध्द

डॉ0 जयश्री पुरोहित पुत्री आर.सी.पुरोहित
निवासी कृष्णगंज बार्ड सागर,म0प्र0
––अनावेदिका

आवेदिका के अभिभाषक श्री के.व्ही.एस.ठाकुर
अनावेदिका के विरूद्व पूर्व से एकपक्षीय

आदेश

(आज दिनांक 29-4 – 2014 को पारित)

यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सागर व्दारा प्रकरण कमांक 65 अ 70/2010–11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 09–05–2012 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदिका ने तहसीलदार सागर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की कि मौजा मकरोनिया स्थित आराजी कमांक 151/38, 151/39, 151/40, 153/2 में से रकबा 2080 वर्गफुट उसके व्दारा कय किया गया है किन्तु आवेदिका व्दारा इस भूखंड के 10X65 वर्गफुट (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) पर की गई तार फेंसिंग उखाड़कर बाउन्ड्री बनाकर आवेदिका ने अतिकमण कर लिया है जिसे हटाया

जावे। तहसीलदार सागर ने प्रकरण कमांक 15 अ 70/2009–10 पंजीबद्व किया तथा सुनवाई प्रारंभिक की । सुनवाई के दौरान आवेदिका ने आपत्ति प्रस्तुत की कि कब व किस दिनांक को अनावेदिका के विवादित प्लाट की फेसिंग उखाड़कर बाउन्ड्री वाल बनाकर अतिकमण किया है अभिकथनों के अभाव में प्रकरण का वाद हेतुक उत्पन्न होना प्रकट नहीं है इसलिये इसी स्टेज पर प्रकरण समाप्त किया जाय। तहसीलदार सागर ने सुनवाई उपरांत अंतरिम आदेश दिनांक 15–7–11 पारित किया एंव आवेदिका व्दारा प्रस्तुत आपत्ति अमान्य कर जवाव हेतु प्रकरण आगे तिथि में नियत किया। इस आदेश के विरूद्व अपर कलेक्टर, सागर के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण कमांक 65 अ 70/2010–11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 09–05–2012 से निगरानी निरस्त की गई। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदिका के अभिभाषक के तर्क श्रवण किये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया। अनावेदिका बाबजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदिका के अभिभाषक व्दारा दिये गये तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि अनावेदिका ने स्वयं के नाम के 2080 वर्गफुट में से 10X65 वर्गफुट की तारफेसिंग हटाकर एंव वाउन्ड्री वाल बनाकर आवेदिका व्दारा अतिकमण करने के कारण अतिकमण हटाने हेतु तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 250 के अंतर्गत आवेदन दिया है और वास्तविक स्थिति जानने के लिये तहसीलदार ने पटवारी को मौके पर भेजकर जांच कराई है जिसमें अनावेदिका के भूखंड में से 10X65 वर्गफुट की तारफेसिंग हटाकर एंव वाउन्ड्री वाल (गैरिज) बनाकर अतिकमण करने का प्रतिवेदन पटवारी ने दिया है जिस पर आवेदिका ने तहसीलदार के समक्ष आपत्ति की, कि अतिकमण कब किया गया ? – अनावेदिका व्दारा स्पष्ट न करने से संहिता की धारा 250 के अंतर्गत प्रस्तुत दावा निरस्त किया जाय। पटवारी प्रतिवेदन से

अतिकमण करना स्पष्ट हुआ है एंव अनावेदिका व्दारा दावे के साथ प्रस्तुत अभिलेख से वादग्रस्त भूखंड अनावेदिका के स्वत्व एंव स्वामित्व का होना प्रमाणित हुआ है, आवेदिका वादग्रस्त भखंड के अंशभाग अर्थात 10X65 वर्गफुट का अतिकमणकर्ता होना जांच में पाई गई है जिसके कारण तहसीलदार के अंतरिम आदेश दिनांक 15–7–11 को उचित पाकर अपर कलेक्टर सागर ने हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

5/ तहसीलदार सागर के प्रकरण कमांक 15 अ 70/2009–10 के अवलोकन पर पाया गया कि उन्होंने उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत अंतिम आदेश दिनांक 23–2–13 से संहिता की धारा 250 के अंतर्गत अनावेदिका व्दारा प्रस्तुत मूल दावे का निराकरण कर दिया, जिसके कारण भी विचाराधीन निगरानी सारहीन हो चुकी है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। फलतः कलेक्टर, जिला सागर व्दारा प्रकरण कमांक 65 अ 70/2010–11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 09–05–2012 स्थिर रहता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मंडल
मध्य प्रदेश ग्वालियर